जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची।

विकास भवन, कचहरी रोड, राँची–834001
(मनरेगा कोषांग)

मनरेगा अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति संबंधी सूचना

ग्रामीण विकास विभाग झारखंड, राँची के संकल्प संख्या 4729 दिनांक 04.06. 2017 एवं नियुक्ति सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य (संशोधन नियमावली 2012) के संकल्प संख्या 6440 दिनांक 17.07.2012, पत्रांक 6718 दिनांक 28.07.2012 संकल्प संख्या (N) 848 दिनांक 21.03.2017 एवं पत्रांक (N) 1786 (अनु०) दिनांक 12.06.2017 के आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अधीन मनरेगा के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संविदा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु अर्हता धारी इच्छुक आवेदकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। वर्त्तमान में रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र०	पद का नाम	अनारक्षित	अ०ज०जा०	कुल रिक्त पद
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	-	1	1
2	तकनीकि सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	-	1	1
3	तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	9	-	9
4	लेखा सहायक	-	1	1
5	कम्प्यूटर सहायक	4	2	6
6	ग्राम रोजगार सेवक	30	9	39

रिक्त पदों की अर्हता, नियुक्ति की शर्तें एवं आवेदन हेतु विहित प्रपत्र ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची के वेबसाईट http://applyrdd.jharkhand.gov.in/ पर उपलब्ध है। इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 25.09.2019 से 30.09.2019 तक उपरोक्त विभागीय वेबसाईट http://applyrdd.jharkhand.gov.in/ पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

नोट :– ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.09.2019 तक निर्धारित है।

उपायुक्त
–सह–
जिला दण्डाधिकारी राँची।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची

(मनरेगा कोषांग)

नियम एवं शर्ते

ग्रामीण विकास विभाग झारखंड, सरकार के संकल्प ज्ञापांक 4729 दिनांक 04.06.2017 एवं नियुक्ति सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली 2012 के संकल्प संख्या ज्ञापांक 6440 दिनांक 17.07.2012 से निर्गत एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची के अधीन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकि सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर राँची जिला के विभिन्न प्रखण्डों में नियुक्ति की जानी है।

रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् हैः–

क्रम सं०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या		
		अनारक्षित	अ०ज०जा०	कुल
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	-	1	1
2	तकनीकि सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	-	1	1
3	तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	9	-	9
4	लेखा सहायक	-	1	1
5	कम्प्यूटर सहायक	4	2	6
6	ग्राम रोजगार सेवक	30	9	39

नोटः– विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन हो सकता है।)

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकि सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/ अहर्त्ताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड राँची के वेबसाईट http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर ऑनलाईन भरा जायेगा।

शैक्षणिक योग्यता :

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	अनिवार्य योग्यता :	सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा में 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक

		प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।
	अतिरिक्त योग्यता :	(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम०बी०ए०/ पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०बी०एम०/ पी०जी०डी०आर०डी०, बी०सी०ए०/ बी०एस०सी० कम्प्यूटर /बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए०/ एम०एस०सी० (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम०बी०ए० एवं पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०बी०एम०/ पी०जी०डी०आर०डी० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०बी०एम०/ पी०जी०डी०आर०डी० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम०बी०ए० की कोटी में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर को बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तद्नुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। (b) एम०सी०ए०/ एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटी में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० या कम्प्यूटर साईंस या बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०एस०सी० की कोटी में रखा जायेगा।
तकनीकि सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	अनिवार्य योग्यता :	सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०ई० या बी०टेक०
	अतिरिक्त योग्यता :	(a)सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम०टेक० तथा पी०जी०डी०सी०ए०/ एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस (b) MCA/M.Sc. Computer को समान योग्यताएँ समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में MCA की कोटी में जोड़े जायेंगे। PGDCA तथा MCA में समतुल्यता लाने हेतु PGDCA के

		प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा ।
तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	अनिवार्य योग्यता : अतिरिक्त योग्यता :	सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा (a)सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०टेक०, बी०ई०, बी०सी०ए०/ बी०एस०सी० कम्प्यूटर/ बी०एस०सी०, कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए०/ पी०जी०डी०सी०ए०/ एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर को बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तद्नुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। (c) MCA/M.Sc. Computer को समान योग्यताएँ समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में MCA की कोटी में जोड़े जायेंगे। PGDCA तथा MCA में समतुल्यता लाने हेतु PGDCA के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा ।
लेखा सहायक	अनिवार्य योग्यता : अतिरिक्त योग्यता :	सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी०कॉम० ऑनर्स या बी०कॉम० सामान्य न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स, एम०सी०ए०/ पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस/एम०कॉम०
कम्प्यूटर सहायक	अनिवार्य योग्यता : अतिरिक्त योग्यता :	सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स या बी०एस०सी० कम्प्यूटर सामान्य या बी०सी०ए० या सामान्य स्नातक उत्तीर्णता के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम०सी०ए०/ एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस/ पी०जी०डी०सी०ए०
ग्राम रोजगार सेवक	अनिवार्य योग्यता : अतिरिक्त योग्यता :	सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में आई०टी०आई० के स्थिति में आई०टी०आई० के मैट्रिक के पश्चात् आई०टी०आई० के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा। (a)सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी विषय/ संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/ सामान्य स्नातक/ बी०सी०ए० तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/ पी०जी०डी०सी०ए०/ पी०जी०डी०बी०एम० / पी०जी०डी०आर०डी०

		अतिरिक्त योग्यता होगी। (b) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटी में अंकित किया जायेगा। पी०जी०डी०सी०ए०/ पी०जी०डी०बी०ए० / पी०जी०डी०आर०डी० को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

आयु सीमा : दिनांक 01.04.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम :
(क) अनारक्षित वर्ग 35 वर्ष
(ख) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) 38 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरूष) 40 वर्ष

राष्ट्रीयता : आवेदक भारत का नागरिक हो।
पात्रता – क) प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं तकनीकि सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के पद हेतु झारखण्ड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।

ख) तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/लेखा सहायक/ कम्प्यूटर सहायक/ ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पद पर आवेदन देने हेतु आवेदक को राँची जिला का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

ग) निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थि का पात्रता रद्द किया जा सकता है।

घ) सभी अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 9650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 02.06.2019 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। दिनांक 02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

नियुक्ति के नियम तथा शर्तें :

1. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
2. प्रारम्भिक चरण में यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक

रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। वर्णित प्रावधान के अनुरूप संविदा नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

4. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्त पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं है तो उसे एक माह के लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकते हैं।

नोट :– ऑनलाईन फॉर्म करने की अंतिम तिथि : 30.09.2019